

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प. 5(1)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक : 27.01.2018

आज्ञा

निजी स्कूलों से संबंधित प्रकरणों के समग्र अध्ययन एवं तत्संबंधी सुझाव देने हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:-

1.	श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री राजपाल सिंह शेखावत, मंत्री, उद्योग विभाग	सदस्य
3.	श्री युनूस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	श्री वासुदेव देवनानी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य

उक्त समिति की बैठक में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विशेष सदस्य भी आमंत्रित किए जा सकेंगे।

उक्त समिति संबंधित पक्षकारों से विचार-विमर्श कर शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

६०-

(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रीगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली

  
शासन उप सचिव